



2026:AHC-LKO:39849

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आवेदन अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या - 2238 सन 2026

गौरव सिंह

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ
एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	निशांत श्रीवास्तव, अग्रेश कुमार राय, विवेक कुमार सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी

1. श्री निशांत श्रीवास्तव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने आवेदन के प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत के लिए धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल किया है। आवेदन में उल्लिखित राहत नीचे दी गई है:-

"अतः, अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, गोंडा द्वारा दिनांक 05.07.2025 को पारित आक्षेपित समन आदेश, जो परिवाद संख्या 16731/2025, धारा 26(2)(i)/59(i) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, वाद संख्या 272/2025 (राज्य बनाम शिवाकांत एवं अन्य), पुलिस थाना - कोतवाली नगर, जिला गोंडा से उत्पन्न हुआ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हैं, को तथा उससे उत्पन्न सभी परिणामी कार्यवाहियों को, इस आधार पर कि वे विधि की दृष्टि में अवैध, अन्यायपूर्ण, अनुचित एवं दोषपूर्ण हैं, निरस्त करने की कृपा करें। द सील ऑफ़ हाई यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, गोंडा द्वारा दिनांक 05.07.2025 को पारित आक्षेपित समन आदेश, जो परिवाद संख्या 16731/2025, धारा 26(2)(i)/59(i) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, वाद संख्या 272/2025 (राज्य बनाम शिवाकांत एवं अन्य), पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला गोंडा से उत्पन्न हुआ है, के संचालन एवं क्रियान्वयन पर तथा उससे उत्पन्न तत्पश्चात की कार्यवाहियों पर, इस याचिका के इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित रहने तक, न्यायहित में रोक लगाने की कृपा करें।

कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश भी पारित किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अंतर्गत न्यायोचित एवं उचित समझे।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला-गोंडा ने 25.06.2025 को शिवा कान्त और गौरव सिंह (वर्तमान आवेदक) के विरुद्ध परिवाद दायर किया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि यद्यपि शासकीय कर्तव्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी द्वारा दायर परिवाद के संबंध में धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता / 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता / 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज न करने का प्रावधान है, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) के प्रथम परंतुक के अनुसार, संज्ञान लेने/समन जारी करने का आदेश पारित करने से पूर्व प्रस्तावित अभियुक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, और दिनांक 05.07.2025 का संज्ञान-सह-समन आदेश विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 05.07.2025 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाए और मामले को संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाए कि प्रस्तावित अभियुक्त व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात आदेश पारित किया जाए।

4. संदर्भ हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के प्रावधान नीचे दिए जा रहे हैं :-

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

223. शिकायतकर्ता की परीक्षा.—(1) किसी अपराध का परिवाद पर संज्ञान लेते समय अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हों, की शपथ पर परीक्षा करेगा, और ऐसी परीक्षा का सार लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा तथा उस पर शिकायतकर्ता और गवाहों, और मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर होंगे:

परंतु यह कि अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा:

परंतु यह भी कि जब शिकायत लिखित रूप में की गई हो, तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी—

(क) यदि किसी लोक सेवक ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या ऐसा कार्य करने का दावा करते हुए शिकायत की हो; या

(ख) यदि मजिस्ट्रेट धारा 212 के अधीन जाँच या विचारण के लिए मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप देता है:

यह भी उपबंधित है कि यदि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा करने के पश्चात् धारा 212 के अधीन मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप देता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनका पुनः परीक्षण करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध की शिकायत पर संज्ञान नहीं लेगा, जिसके बारे में आरोप है कि वह उसके आधिकारिक कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया है, जब तक कि—

(क) ऐसे लोक सेवक को उस स्थिति के संबंध में अभिकथन करने का अवसर न दिया गया हो, जिसके कारण कथित घटना घटित हुई; और

(ख) ऐसे लोक सेवक से वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को समाहित करने वाली रिपोर्ट प्राप्त होती है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित अभियुक्त व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् नया आदेश पारित करने हेतु मामले को संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जा सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. अतः, न्याय के हित में, यह न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, गोंडा द्वारा पारित दिनांक 05.07.2025 के आक्षेपित आदेश को निरस्त करता है और संबंधित न्यायालय को निर्देशित करता है कि वह विधि के अनुसार, प्रस्तावित अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(1) के प्रथम परंतुक के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् नया आदेश पारित करे, अधिमानतः आज से साठ दिनों की अवधि के भीतर।

7. उपर्युक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन को अनुमति दी जाती है।

[न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी]

जून 2, 2026

मनीष हिमवान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।